संख्या- / 2017 / 476/ चार-2017-26(वि0)/2017

प्रेषक,

लुटावन राम,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्राहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2017

विषयः-राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग परिसर, लखनऊ के पार्श्व भाग में सुरक्षा की दृष्टि से बाउड्रीवाल का निर्माण एवं भूमि समतल किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1053/(क)/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2016-17 दिनांक 07 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग परिसर, लखनऊ के पार्श्व भाग में सुरक्षा की दृष्टि से बाउड्रीवाल का निर्माण एवं भूमि समतल किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निमार्ण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 80.51 लाख (रूपये अस्सी लाख इक्कावन हजार मात्र) के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 80.51 लाख (रूपये अस्सी लाख इक्कावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त वित्तीय स्वीक़ृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) प्रस्तावित कार्यो की द्विावृत्ति (डयूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीक़ृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यकम के अन्तर्गत न तो स्वीक़त है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्वीक़ृति धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्र्तगत नियमानुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित माात्राओ हेतु व्यय करेगे।

(3) उक्त धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा तथा धनराशि आहरित कर बैक/पोस्ट/ आफिस/पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी।

(4) उपरोक्त धनराशि स्वीक़त मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नही देता है, व्यय करने के लिये बजट मैनुअल

http://shasanadesh.up.nic.in

और वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों अथ्वा स्थायी आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की, जहां अवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीक़ृति प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष् के अनुदान संख्या-92 के लेखा शीर्षक-2205-कला एवं संस्क़ृति-107-संग्रहालय-03-अधि0व्यय-42-अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या- / 2017 / 476 (1)चार-2017,तददिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्क़ृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- प्रंबध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in